I/58530/2023

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 783 दिनांक 13.08.2022 द्वारा श्री दीपक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01184) के विरूद्ध इनको आवंटित मौजा के खानापुरी का कार्य 02 माह बीत जाने के बावजूद भी पूर्ण नहीं करने, शिविर प्रभारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने एवं विभागीय तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य नहीं करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक I/33808 दिनांक 06.10.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की स्थिति में मुख्यालय स्तर पर सुपौल जिला के लिए नामित्त नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं नोडल पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत यह पाया कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित न कर सेवा से त्याग पत्र दे दिया गया है, जो बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपो को प्रमाणित करता है। साथ ही वरीय पदाधिकारियों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देना अनुशासनहीनता एवं आदेशोल्लंधन का द्योतक है। ऐसे कर्मियों को सेवा में बनाए रखना उचित नहीं होगा। इनके इस तरह के कृत्य से अन्य कर्मियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिगत इनका त्याग पत्र स्वीकृत न कर संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री दीपक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01184) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 21:15:20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. श्री दीपक कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01184), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचना प्रेषित ।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित ।